कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 3021/ओबरा/15 भू0हे0 दिनांक–16/06/2022.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड, (द्वितीय)
उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी
पता–220 के0वी0 सब स्टेशन, तलवल, गाजीपुर, उ0प्र0।

विषयः– उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28हे0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048हे0 आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51हे0 आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल प्रभावित 319.28हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–2409/11–सी दिनांक–17.02.2021, पत्रांक–3393/11–सी दिनांक–31.05.2022 तथा इस कार्यालय के पत्रांक–2211/ओबरा/33 दिनांक–15.03.2022.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। उनके द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2409/11–सी दिनांक–17.02.2021 द्वारा 02 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए सन्दर्भित पत्र में इंगित कमियों का निराकण करनें का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–2211/ओबरा/33 दिनांक–15.03.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। पुनः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–3393 /11–सी दिनांक–31.05.2022 द्वारा निम्न आपत्ति लगायी गयी हैः–

1. इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–17.02.2022 के द्वारा इंगित कमियों के निराकरण के कम में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है जबकि विषयगत प्रकरण में लीज अवधि दिनांक– 22.02.2014 को समाप्त हो गयी है तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा

लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त अभी तक वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जा रहा है जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतः भारत सरकार के पत्र दिनांक–29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही, दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना, दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को संस्तुति सहित तीन प्रतियों में प्रेषित करनें का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए, सूचना/अभिलेख पांच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।